FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

त राजस्व कलक्टर (SDO) मुकाम बायतु

उम्मेदाराम वगैरह बनाम हुकमाराम वगैरह

स्म मुकदमा 111,128 RLR act नं. 77/2020 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/5/2020	प्रार्थी/~~वादी~~/अपीलांट के वकील श्री नरपतसिंह ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/अपील धारा 111,128 ~~राजस्थान काश्तकारी~~/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/~~प्रतिवादी/रेस्पोडेंट~~ जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 12/06/20 को पेश हो। विवेक व्यास 26.5.2020 सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
12/06/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस जारी नहीं किये गये जो जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये जावे। पत्रावली दिनांक 29/06/2020 को पेश हो। विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
29/06/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 08/09/2020 को पेश हो। विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु //	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vya
Date: 2020.11.19 17:22:36 IS
Reason: SelfAttested

08/09/2020 प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण नोटिस अर्से से जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनको 2 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। जिनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ताओं की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत लेन-देन आये हुए है। प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेतों के मध्य जो पुरानी मेड़ व डोल आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। जिससे प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के मध्य खेत के सेढो को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करने हेतु नेप्थमबंदी करवानी आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेप्थमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेप्थमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर

प्रार्थी का नेप्थमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेप्थमबंदी मोके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 17:22:36 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 627 दिनांकः– 14/09/2020

राजस्व आवेदन संख्या –77 / 2020

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
श्री उम्मेदाराम पुत्र खेराजराम वगैरा 12 जाति–जाट निवासी–छीतर का पार, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर		श्री हुकमाराम पुत्र सताराम वगैरा 24, निवासी– छीतर का पार तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा छीतर का पार, पटवार मण्डल छीतर का पार, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर खेत खसरा नम्बर 261, 267, 705/261 रकवा क्रमशः 1.2135, 11.5525, 0.5339 हैक्टेयर कुल रकबा 13.2999 हेक्टेयर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन [illegible] धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार [illegible] को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर [illegible] प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/– जमा [illegible] करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

सहायक कलक्टर
(विवेक व्यास) (SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः– 14/09/2020

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 628-632

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, छीतर का पार को भेजकर लेख है कि [illegible] मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री उम्मेदाराम पुत्र खेराजराम वगैरा 12
4. विप्रार्थीगण श्री हुक्माराम पुत्र सताराम वगैरा 24
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 17:22:36 IST
Reason: SelfAttested